भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर

क्रमांकः–लेखा/भ.वि.प्रा/2026–27/ 5033-44   दिनांकः– 28/04/26

अल्पकालीन ऑनलाईन निविदा सूचना सं0 06/2026-27

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से 01 कार्य के लिए भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर में उपयुक्त श्रेणी एवं अन्य विभागों में E1/EWSD-1 श्रेणी (योग्यतानुसार) में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्योरमेन्ट प्रकिया से वेवसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा में सफल संवेदकों को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित Finance (G&T) Department के Notification दिनांक 22.10.2021 में वर्णित Transparency in Public Procurement Rules 2013 के Rule 75 A के अनुसार अतिरिक्त पी.एस. राशि जमा करानी होगी। आर.पी.डब्ल्यू.ए. 100 की समस्त शर्तें लागू होगी। निविदा का प्राधिकरण, भरतपुर की वेवसाईट https://bhda.rajasthan.gov.in , www.eproc.rajasthan.gov.in एवं http://sppp.raj.nic.inportal पर अवलोकन कर सकते है।

क्र. सं.	निविदा की क्र.सं.	आनलॉइन निविदा विक्रय/डाउनलोड/अपलोड करने की तिथि	प्रोसेसिंग शुल्क/निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि ऑनलाइन भुगतान एवं जमा करने की तिथि	आनलॉइन निविदा तकनीकी बिड खोलने की तिथि
1	कार्य सं. 01	दिनांक 29.04.2026 प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 08.05.2026 सायः 06:00 बजे तक	दिनांक 08.05.2026 को सायं 06:00 बजे तक ऑनलाईन एवं ऑफलाईन बी.जी. (मूल) सिर्फ दिनांक 11.05.2026 को प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक कमरा नम्बर–17 में जमा कराई जायेगी।	दिनांक 11.05.2026 को सायं 04:00 बजे।

निविदा का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत राशि (लाखों में)(₹)	0.5 प्रतिशत अमानत राशि(₹)	2 प्रतिशत अमानत राशि (₹)	निविदा शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि	दोष निवारण अवधि
1	ARC for shifting dismantling of various overhead electrification by laying underground cable, BDA, Bharatpur.	996.90	4,98,450.00	19,93,800.00	2500.00	12 माह	As per Annexure-1

निविदा की सामान्य शर्तेः–

1. निविदा के कार्य सं0 01 पर अंकित कार्यों हेतु विद्युत कार्यों से संबंधित भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर मे EWSD सक्षम श्रेणी एवं अन्य विभागों द्वारा E1/EWSD-1 श्रेणी में पंजीकृत फर्म ही भाग लें सकेंगी।
2. निविदा के कार्य सं0 01 पर अंकित कार्यों हेतु निविदा की समस्त शर्ते निविदा में संलग्न बिड अनुसार मान्य होंगी।
3. निविदा में अंकित कार्य सं0 01 हेतु वर्णित शर्तों के संबंध में अधीक्षण अभियंता, बी.डी.ए., भरतपुर की अध्यक्षता में दिनांक 04.05.2026 को दोपहर 03:00 बजे प्राधिकरण सभागार में प्री बिड मीटिंग आयोजित की जावेगी।
4. वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.8(10)एफडी/एस.पी.एफ.सी./2022 दिनांक 27.01.2023 के अनुसार 50.00 लाख रू0 तक की राशि के कार्यो के लिए 500/– रू0 व 50.00 लाख रू0 से 1.00 करोड रूपये तक राशि के कार्यो के लिए 1500/– रू0 एवं 1.00 करोड रूपये से 5.00 करोड रूपये तक राशि के कार्यों के लिए 2000/–रूपये तथा 5.00 करोड रूपये से अधिक राशि के कार्यों के लिए 2500/– रूपये प्रोसेसिंग शुल्क निविदा शुल्क के अतिरिक्त देय होगी।
5. निविदा के समस्त कार्यों हेतु केवल भरतपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत फर्म ही 0.5 प्रतिशत अमानत राशि जमा करा सकते हैं। भरतपुर विकास प्राधिकरण के अलावा अन्य किसी भी प्राधिकरण व न्यास एवं सरकारी तथा राजकीय संस्था व निकाय अथवा अन्य किसी विभाग में पंजीकृत फर्मो को 02 प्रतिशत अमानत राशि जमा करानी होगी। भरतपुर विकास प्राधिकरण के अलावा अन्य किसी भी राजकीय संस्था अथवा अन्य किसी विभाग में पंजीकृत फर्म को 02 प्रतिशत अमानत राशि जमा नहीं कराये जाने पर फर्म को अपात्र घोषित कर दिया जावेगा।
6. परफॉर्मेंस सिक्योरिटी राशि की गणना आरटीपीपी नियम 75 तथा 75 ए के अनुसार की जावेगी। फर्म द्वारा निर्धारित समयावधि में परफॉर्मेंस सिक्योरिटी राशि जमा नहीं कराने पर फर्म के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।निविदा में सम्मिलित कार्यों पर **प्राईस एक्सक्लेशन** देय नहीं होगा।

7. निविदा में सफल फर्मों को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित Finance (G&T) Department के Notificationदिनांक22.10.2021 में वर्णित Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules 2013 के Rule 75Aके अनुसार अतिरिक्त पी.एस. राशि जमा करानी होगी।
8. इलैक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे की निविदा प्रपत्रों से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेजों की पठन योग्य स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न कर दी गयी है।
9. सशर्त निविदाऐ मान्य नहीं होगी एवं निविदा वैधता (Bid Validity) अवधि 120 दिवस तक मान्य होगी।
10. निविदा से संबंधित समस्त विवरण http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।
11. निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन http://eproc.rajasthan.gov.in एवं http://sppp.raj.nic.in portal पर अवलोकन कर सकते हैं। असफल फर्मो की अमानत राशि कार्यादेश जारी होने के पश्चात वापिस लौटाई जावेगी।
12. फर्म को सक्षम श्रेणी में पंजीकरण, जी.एस.टी., पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की प्रति निविदा में संलग्न करनी होगी।
13. **जी.एस.टी. रिटर्न के संबंध में वित्त विभाग के आदेश दिनांक 27.06.2024 के बिन्दु संख्या 02 के प्रावधान अनुसार फर्म को अंतिम वित्तीय वर्ष (2025–26) *अथवा* अंतिम वित्तीय वर्ष से पूर्व के वित्त वर्ष (2024–25) की अन्तिम तिमाही में जमा की गयी जीएसटी *एवं* अंतिम 03 वित्त वर्ष (2023–24, 2024–25, 2025–26) *अथवा* अंतिम वित्त वर्ष से पूर्व के 03 वित्तीय वर्ष (2022–23, 2023–24, 2024–25) का आयकर रिटर्न की संलग्न प्रारूप की प्रति फर्म के चार्टर्ड एकाउन्टेट द्वारा मय M.No., FRN No. एवं UDIN No. सत्यापित की हुई निविदा में ऑनलाईन संलग्न करनी होगी। नवीन पंजीकृत संवेदकों को पंजीकरण अवधि से उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।**
14. लेबर से सम्बन्धित समस्त दायित्व नियमानुसार फर्म को वहन करने होंगे। प्राधिकरण की कोई भी जबाव देही नही होगी।
15. EMD, Tender Fee & Processing Fee Online जमा कराने का Process निम्नानुसार है। www.urban.rajasthan.gov.in /uitbharatpur → E Services → EMD for E-Tendering → Login Through SSOID → URBAN SERVICES → Citizen Services → Subscribe Payment Gateway for E-Tendering → Proceed.
16. निविदा की समस्त प्रकिया ऑनलाईन होगी एवं कार्य पूर्ण करने की अवधि में मानसून अवधि शामिल है। कोई भी निविदा इलैक्ट्रोनिकली जमा कराने में किसी कारण लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार प्राधिकरण नही होगा।
17. उपरोक्त निविदा को बिना किसी कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा। फर्म को कार्यादेश जारी होने के उपरान्त कार्य शुरू नहीं करने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
18. राजस्थान भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार नियम 2009 के संबंध में जारी अधिसूचना दिनांक 30.04.2009 के अनुसरण में प्राधिकरणद्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के रनिंग/अन्तिम बिलों के भुगतान पर 1 प्रतिशत श्रम उपकर भी देय होगा। जी.एस.टी. संबंधी भुगतान का दायित्व फर्म का होगा। प्राधिकरणद्वारा पृथक से भुगतान नहीं किया जायेगा।
19. फर्म को कार्य स्थल पर साईट ऑफिस बनाना होगा । यदि कार्य स्थल पर कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की घटना घटित होने पर उसकी जिम्मेदारी स्वयं फर्म की होगी।
20. फर्म द्वारा कराये जाने वाले कार्य स्थल पर निर्देशिका पुस्तिका का संधारण करना होगा, जिसमें समय–समय पर प्राधिकरण के अधिकारियों एवं अभियंताओं द्वारा दिये गये निर्देशों को पुस्तिका में इन्द्राज कर उनकी सुनिश्चितता कर पालना की जावेगी।
21. सम्बन्धित कार्य के लिए फर्म को समस्त मैटेरियल Testingहेतु टैक्सी उपलब्ध करानी होगी। तथा समस्त टैस्टिंग की फीस भी फर्म को स्वय के स्तर से जमा करानी होगी। प्राधिकरण द्वारा टैस्टिंग के व्यय हेतु कोई राशि देय नही होगी। यदि फर्म द्वारा Testingनही करायी जाती है, तो प्राधिकरण द्वारा स्वंय के स्तर से कार्य की गुणवत्ता की जांच करायी जावेगी। जिसकी गुणवत्ता जांच में हुए व्यय की दुगनी राशि फर्म के बिल भुगतान से वसूली जावगी।
22. फर्म द्वारा किये गये कार्य की आवश्यकतानुसार थर्ड पार्टी जाँच करायी जावेगी, जिसका समस्त व्यय संवेदक को स्वयं के स्तर से वहन करना होगा।
23. निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलैक्ट्रोनिक फॉर्मेट में उपरोक्त बेवसाईट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नही होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नही किये जावेंगे। कोई प्रस्ताव अकेले भौतिक फॉर्म में स्वीकार्य नहीं होगा। निविदा के साथ संलग्न तकनीकी बिड में सफल निविदादाता की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।
24. निविदा खोलने की तिथि को उस दिन का अवकाश रहता है या किसी कारणवश सारी निविदाएं नहीं खोली जाती है तो उसके अगले कार्य दिवस को शेष निविदाए उसी समय व उसी स्थान पर खोली जायेगी।
25. भरतपुर शहर एन.सी.आर. में आने के कारण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की पालना करने हेतु संवेदक को निर्माण स्थल पर निर्माण में प्रयुक्त सामग्री पर पानी का नियमित छिड़काव करना होगा। निर्माण स्थलों पर सामग्री पहुंचाने हेतु वाहनों को ढककर पहुंचाना होगा, जिससे धूल उड़ने से रोका जा सके। फर्म को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी।

26. वित्त विभाग द्वारा दिनांक 28.8.25 के संशोधित आदेशानुसार परफॉर्मेंस सिक्योरिटी राशि के अन्तर्गत संशोधन अनुसार कार्य पूर्ण होने और अंतिम बिल पारित होने पर संवेदक को परफॉर्मेंस सिक्योरिटी राशि का पचास प्रतिशत वापस किया जावेगा और शेष पचास प्रतिशत परफॉर्मेंस सिक्योरिटी राशि को डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड उपरान्त कार्य संतोषजनक होने पर वापस कर दी जाएगी।

27. आरटीपीपी नियम 84 के अनुसार प्रथम अपील के लिए शुल्क 2500 रुपये और द्वितीय अपील के लिए 10,000 रुपये होगा। उक्त राशि को वापस नहीं किया जावेगा।

28. निविदा में किसी भी कार्य की तकनीकी बिड खोलने के उपरांत संलग्न दस्तावेजों के आधार पर यदि कोई भी फर्म अपात्र पायी जाने पर संबंधित फर्म को कारण अवगत कराते हुए फर्म को आपत्ति दर्ज करने हेतु 03 कार्य दिवस की समयावधि दी जावेगी निर्धारित अवधि उपरांत आपत्ति दर्ज नहीं कराने पर फर्म को अपात्र घोषित करते हुए पात्र पायी जाने वाली फर्मों की वित्तीय बिड खोल दी जावेगी।फर्म को पात्र एवं अपात्र की सूचना http://eproc.rajasthan.gov.in एवं http://sppp.raj.nic.in portalके माध्यम से प्राप्त करनी होगी। इस बावत् कोई भी पत्राचार प्राधिकरण कार्यालय द्वारा प्रथक से नहीं किया जावेगा।

29. संवेदक को प्राधिकरण व जे.वी.वी.एन.एल से समन्वय स्थापित कर उक्त कार्य (क्रम संख्या 01) को जे.वी.वी.एन.एल को हस्तांतरण करना होगा। तदोपरान्त ही प्राधिकरण द्वारा संवेदक को फाइनल बिल देय होगा।

30. संयुक्त उद्यम (**Joint Venture**) को भाग लेने की अनुमति नहीं है।

31. संवेदक द्वारा कार्य समाप्ति उपरांत स्वयं के खर्चे पर कार्य का इलैक्ट्रीकल इंस्पेक्टर प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। इस खर्चे का पुनर्भरण प्राधिकरण द्वारा संवेदक को देय नहीं होगा।

सहायक अभियंता–विद्युत
भ.वि.प्रा, भरतपुर

सहायक लेखाधिकारी–प्रथम
भ.वि.प्रा, भरतपुर

अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत)
भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर

क्रमांकः–लेखा/भ.वि.प्रा/2026–27/ 5033-44

दिनांकः– 28/04/2026

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमान् शासन सचिव महोदय एवं प्रोद्योगिकी विभाग योजना भवन राज0 जयपुर।
2. श्रीमान् उप शासनसचिवमहोदय नगरीय विकासविभाग, मुख्यालय जयपुर।
3. निजीसहायक, श्रीमान् जिलाकलक्टर एवं अध्यक्ष महोदय, जिला कलैक्ट्रेट, भरतपुर
4. श्रीमान् आयुक्त महोदय, भरतपुरविकासप्राधिकरण,भरतपुर।
5. श्रीमान् मुख्य अभियन्तानगरीय विकासविभाग, जयपुर।
6. सम्बन्धित सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निविदा में वर्णित समस्त कार्यों के "बिड़ डाक्यूमेन्ट/बी.ओ.क्यू" स्वंय की उपस्थिति में http://eproc.rajasthan.gov.inएवं http://sppp.raj.nic.in portal पर अपलोड़ करावें। किसी भी प्रकार की त्रुटि/अनियमितता पायी जाने पर आप स्वंय की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
7. अधिशाषी अभियंता, नगर निगम, भरतपुर।
8. नोडलअधिकारीएस.पी.पी.पी./ई–प्रोक/नोडलअधिकारीवेवसाइडप्राधिकरण,भरतपुरकोएन.आई.टीअपलोड/डाउनलोडकरनेहेतु।
9. अध्यक्ष, ठेकेदार यूनियनसंघ, भरतपुरविकासप्राधिकरण, भरतपुर।
10. खजार्ची/ऑडिटर, भरतपुरविकासप्राधिकरण, भरतपुर।
11. प्रबंध निदेशक, राजस्थानसंवाद, सूचना एवंजनसम्पर्कनिदेशालय परिसर, शासनसचिवालय, जयपुर।
12. नोटिस बोर्ड भरतपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम,/पी.डब्ल्यू.डी/जन स्वास्थ्य अभि.वि/सिचाईविभाग, विद्युत विभाग एवं जल संसाधन विभाग, भरतपुर।

अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत)
भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर

भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर

क्रमांकः—लेखा / भ.वि.प्रा / 2026—27 / 5033-44 दिनांकः— 28/4/2026

ऑनलाईन निविदा सूचना सं0 06 / 2026—27

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से भरतपुर विकास प्राधिकरण, में उपयुक्त श्रेणी एवं विभिन्न विभागों में E1/EWSD-1 श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई.प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया से कुल 01 कार्य हेतु ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

उक्त कार्यो का विस्तृत विवरण, निविदा शर्ते, अनुमानित लागत राशि, निविदा बेचने, प्राप्त करने एवं खोलने की दिनांक आदि सम्पूर्ण विवरण वेवसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in https://bhda.rajasthan.gov.in एवं http://sppp.raj.nic.in portal पर देखा जा सकता है।

निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन http://eproc.rajasthan.gov.in एवं http://sppp.raj.nic.in portal का अवलोकन करें।

UBN विवरणः—01.

अधिशाषी अभियन्ता(विद्युत)
भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर

क्रमांकः—लेखा / भ.वि.प्रा / 2026—27 / 5033-44 दिनांकः— 28/4/2026

प्रतिलिपिः—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमान शासन सचिव महोदय एवं प्रोद्योगिकी विभाग योजना भवन राज0 जयपुर।
2. श्रीमान् उप शासन सचिव महोदय नगरीय विकास विभाग, मुख्यालय जयपुर।
3. निजी सचिव, श्रीमान अध्यक्ष महोदय, भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर।
4. श्रीमान सचिव महोदय,भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर।
5. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता नगरीय विकास विभाग, मुख्यालय जयपुर।
6. सहायक लेखाधिकारी प्राधिकरण ,, भरतपुर।
7. सहायक अभियन्ता प्रथम / द्वितीय भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर।
8. समस्त कनिष्ठ अभियन्ता प्राधिकरण, / नोडल अधिकारी एस.पी.पी.पी. / नोड़ल अधिकारी वेवसाइड प्राधिकरण, भरतपुर।
9. अधिशाषी अभियंता, नगर निगम, भरतपुर।
10. अध्यक्ष, ठेकेदार यूनियन संघ, भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर।
11. खजार्ची / ऑडिटर भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर।
12. प्रबंध निदेशक, राजस्थान संवाद, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय परिसर, शासन सचिवालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा का प्रकाशन नियमानुसार पठन योग्य न्यूनतम स्पेस (8 x 10 वर्ग सें.मी.) में एक प्रमुख राष्ट्रीय स्तर अंग्रेजी तथा एक पचास हजार एवं अधिक प्रति परिचलन वाले प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय एवं एक मुख्य क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर तथा प्रकाशन उपरांत प्रत्येक समाचार पत्र की 02 प्रति प्राधिकरण कार्यालय भरतपुर को भिजवाने का श्रम करें एवं विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात इस कार्यालय को विज्ञापन बिल के साथ विज्ञापन आदेश की फोटो प्रति साथ लगावें।
13. नोटिस बोर्ड भरतपुर विकास प्राधिकरण / नगर निगम, / पी.डब्ल्यू.डी / जन स्वास्थ्य अभि. विभाग, / सिचाई विभाग, विद्युत विभाग एवं जल संसाधन विभाग, भरतपुर।

अधिशाषी अभियन्ता(विद्युत)
भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर

जी..एस.टी रिटर्न चुकता प्रमाण पत्र प्रारूप

Sub:- C.A Certificate on submission of GST Returns

It is to be certified that M/S ……………………., having PAN……………….., Residence………………………………………..District……………………State………………- PIN………………..and having GSTIN…………………… has filled their Goods Service Taxes return as to be filed as per the central goods and service tax act 2017, Rajasthan and integrated goods and service tax act 2017 as applicable for the time being in force of for last 3 months(Last Quarterly) of Financial year 2024-25/2025-26.

Sign. Of C.A with Stamp

M.No :-

FRN :-

UDIN :-

आयकर रिटर्न चुकता प्रमाण पत्र प्रारूप

Sub:- C.A Certificate on submission of Income Tax Returns

It is to be certified that M/S ……………………., having PAN……………….., Residence………………………………………..District……………………State………………PIN……… ……….and having GSTIN…………………… has filled their Income Taxes Return as to be filed as per the applicable for the time being in force of rules,income tax return filed of the fin. year 2022–23, 2023–24, 2024–25 **OR** 2023–24, 2024–25, 2025–26 as on the date of certificate.

Sign. Of C.A with Stamp

M. No :-

FRN :-

UDIN :-